[एम**.** आर**.** शाह और कृष्णा मुरारी**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860-एस. एस.498 ए, 306 और 107-अपीलार्थी नं. 1 (पति) और मृतक का विवाह 2005 में संपन्न किया गया था-2007 में एक पुरुष बच्चे का जन्म विवाह से हुआ था-अभियोजन मामला कि अपीलार्थी नं. 1 ने दूसरी गर्भावस्था के साथ गर्भपात के बावजूद उसे दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर करके मृतक को भारी मानसिक यातना दी और वह मृतक लगातार क्रूरता का शिकार हुआ जिसने उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया-निचली अदालत ने अपीलार्थी नं. 1 और मृतक की सास को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 498 ए और 306 के तहत दोषी ठहराया-उच्च न्यायालय ने अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि को बरकरार रखा-आयोजितःकिसी व्यक्ति यू/एस को दोषी ठहराना।306 भारतीय दण्ड संहिता सी. में अपराध करने के लिए स्पष्ट पुरुष कारण होना चाहिए-इसके लिए एक सक्रिय कार्य या प्रत्यक्ष कार्य की भी आवश्यकता होती है जो मृतक को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है और कोई अन्य विकल्प नहीं ढूंढता है और यह कार्य मृतक को ऐसी स्थिति में धकेलने के लिए आरोपी का ऐसा प्रतिबिंबित इरादा होना चाहिए कि वह आत्महत्या कर ले-अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे स्थापित करना होगा कि मृतक ने आत्महत्या की और अपीलार्थी संख्या 1 ने मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाया-वर्तमान मामले में, दोनों तत्व अनुपस्थित थे-जहां तक दोषसिद्धि यू/एस है।498 भारतीय दण्ड संहिता सी. का संबंध है, घटना के बाद दर्ज पीडब्लू-1 से पीडब्लू-3 के बयान को छोड़कर, मृतक के साथ उसके विवाह के दौरान दहेज की किसी भी मांग या दुर्व्यवहार के आरोप को स्थापित करने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं है-पीडब्लू-1 से पीडब्लू-3 इच्छुक गवाह थे और उनकी गवाही में भौतिक विरोधाभास थे-अपीलकर्ता संख्या 1 और मृतक के बीच उनके वैवाहिक जीवन के नौ वर्षों के दौरान कोई वैवाहिक कलह नहीं थी-यह तथ्य कि मृतक द्विध्रुवी विकार से पीड़ित था, अपीलकर्ता परिवार के परिवार से उनके विवाह के दौरान छिपा दिया गया था-साथ ही, पीडब्लू-9 के साक्ष्य यानी, मनोचिकित्सक को निचली अदालतों द्वारा विचार नहीं किया गया था-अपीलार्थीगण की यू/एस दोषसिद्धि306 और 498 ए भारतीय दण्ड संहिता सी., तदनुसार, टिकाऊ नहीं है।

जी.

एच.

889

890 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 14 एस. सी. आर.

ए.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1.**एस के तहत एक आरोपी को दोषी ठहराने से पहले।**306** भारतीय दण्ड संहिता सी., न्यायालय को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की ईमानदारी से जांच करनी चाहिए और यह पता लगाने के लिए कि क्या पीड़ित के साथ की गई क्रूरता और उत्पीड़न ने पीड़ित के पास उसके जीवन को समाप्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं छोड़ा था, उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य का भी आकलन करना चाहिए।यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आत्महत्या के कथित उकसावे के मामलों में आत्महत्या के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उकसाने के कृत्यों का प्रमाण होना चाहिए।अभियुक्त की ओर से घटना के समय के निकट कोई सकारात्मक कार्रवाई किए बिना केवल उत्पीड़न के आरोप पर, जिसके कारण व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया या मजबूर किया गया, एस के संदर्भ में दोषसिद्धि।**306** भारतीय दण्ड संहिता सी. टिकाऊ नहीं है।**[**पैरा **38] [906-**एच; **907-**ए-बी**]**

1.2.वर्तमान मामले में, न केवल आत्महत्या के समय के निकट सकारात्मक कार्रवाई अनुपस्थित है, बल्कि अपीलार्थीगण द्वारा मृतक को दी गई किसी भी निरंतर शारीरिक या मानसिक यातना का भी कोई सबूत नहीं है।इसके विपरीत, अपीलार्थी सं। **1** स्वयं मृतक को इस घटना से ठीक एक दिन पहले एक मनोचिकित्सक से परामर्श करने के लिए ले गया था, जाहिरा तौर पर उसे बेहतर महसूस कराने के इरादे से।उक्त कृत्य को किसी भी तरह से ऐसा कार्य नहीं कहा जा सकता है जो मृतक को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर सके।इसके अलावा, पीडब्लू**-1** द्वारा पीडब्लू**-3** पर विवाह के तुरंत बाद अपीलार्थीगण द्वारा मृतक के निरंतर उत्पीड़न और यातना के संबंध में अपने बयान में लगाए गए आरोप भरोसा करने के योग्य नहीं हैं और इस तथ्य के कारण कि उनकी शादी के **9** वर्षों के दौरान, मृतक या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा इस संबंध में कभी कोई शिकायत या फुसफुसाहट नहीं की गई है, जो अभियोजन पक्ष के गवाहों के रूप में पेश हुए थे।यहाँ तक कि मृतक स्वयं, जो एक योग्य चिकित्सक थे, ने भी इस संबंध में कभी कोई शिकायत नहीं की।यह विश्वास करना वास्तव में

कठिन है कि एक सुशिक्षित और आत्मनिर्भर महिला **9** साल की काफी लंबी अवधि के लिए ऐसी चीजों को ले जाएगी।**[**पैरा **35] [906-**ए-डी**]**

जी.

1.3.भारतीय दण्ड संहिता सी**.** की धारा **376** के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए**,** अपराध करने के लिए स्पष्ट पुरुष कारण होना चाहिए।इसके लिए एक सक्रिय कार्य या प्रत्यक्ष कार्य की भी आवश्यकता होती है जो मृतक को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है।

एच.

891

मारियानो एंटो ब्रुनो और ए. एन. आर. बनामपुलिस ए के निरीक्षक

कोई अन्य विकल्प नहीं होना चाहिए और यह कार्य मृतक को ऐसी स्थिति में धकेलने के आरोपी के इरादे को दर्शाता होना चाहिए कि वह आत्महत्या कर ले।अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे यह स्थापित करना होगा कि मृतक ने आत्महत्या की थी और अपीलार्थी संख्या **1** ने मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाया था।वर्तमान मामले में**,** दोनों तत्व अनुपस्थित हैं।**[**पैरा **36] [906-**ई**]**

2.1.जहां तक भारतीय दण्ड संहिता सी**.** की धारा **498** ए के तहत दोषसिद्धि का संबंध है**,** घटना के बाद दर्ज अभियोजन पक्ष के गवाह पी**.** डब्ल्यू**.-1** से पी**.** डब्ल्यू**.-3** के बयान को छोड़कर**,** दहेज की किसी भी मांग या उसके साथ दुर्व्यवहार के आरोप को स्थापित करने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं है।यह तथ्य कि अपीलार्थी संख्या **1** और मृतक के परिवारों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे**,** विवादित नहीं है।मृतक ने **05.11.2014** पर आत्महत्या कर ली और अपीलार्थीगण के खिलाफ शिकायत **24.11.2014** यानी मृतक की मृत्यु के **3** सप्ताह बाद दर्ज की गई।**[**पैरा **37] [906-**एफ-जी**]**

2.2.पीडब्लू**-1** से पीडब्लू**-3** इच्छुक गवाह हैं**,** फिर भी**,** पीडब्लू**-3** ने स्पष्ट रूप से कहा कि "मेरी बहन डॉ**.** अमाली विक्टोरिया और डॉ**.** ब्रूनो के बीच शादी एक खुशहाल शादी

थी"।इस प्रकार न केवल उनके अपने बयानों और अन्य दो गवाहों के बयानों में भी भौतिक विरोधाभास मौजूद हैं।**[**पैरा **40] [907-**एच**; 908-**ए**]**

3.1.वर्तमान मामले में जिन तथ्यों और साक्ष्यों का विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा स्पष्ट रूप से विश्लेषण नहीं किया गया है**,** उनका सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है:**-**अ**.)** अपीलार्थीगण के खिलाफ शिकायत मृतक की मृत्यु के **3** सप्ताह बाद दर्ज की गई थी।ख**.)** अपीलार्थियों द्वारा मृतक को दिए गए भारतीय दण्ड संहिता सी**.** की धारा **498** ए के तहत कथित अपराध के संबंध में कोई सबूत नहीं है।ग**.)** अपीलार्थी नं**. 1** और मृतक के बीच उनके **9** वर्षों के वैवाहिक जीवन के दौरान कोई वैवाहिक कलह नहीं हुई है। घ**.)** अपीलार्थी नं**. 1** और मृतक की बहनों के बीच कई ईमेलों का आदान**-**प्रदान हुआ है**,** जिसमें अपीलार्थी नं**. 1** को मृतक की सर्वोत्तम संभव तरीके से देखभाल करने के लिए प्रशंसा की गई और मृतक के माता**-**पिता को उसके करियर में सहायता करने का श्रेय भी दिया गया।इसके अलावा**,** यह मृतक की बहन थी**,** जिसने खुद अपीलार्थी संख्या **1** को एक मेल भेजा था जिसमें कहा गया था कि "अमाली एक विकार से लड़ रही है"**;**ई**.)** द

मृतक द्विध्रुवी क्रम से पीड़ित था और आत्महत्या से कुछ दिन पहले से उसे आत्महत्या के विचार भी आ रहे थे।इसके अलावा**,** मृतक का अवसाद का भी इलाज चल रहा था क्योंकि वह थकान**,** खराब नींद**,** हतोत्साहित महसूस करने जैसे अवसाद के प्रमुख लक्षण दिखा रही थी।यह तथ्य कि मृतक द्विध्रुवी विकार से पीड़ित था**,** अपीलार्थी परिवार से उनके विवाह के दौरान छिपा दिया गया था**;**च**.)** निचली अदालत के साथ**-**साथ उच्च न्यायालय ने आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **376** और **498** ए के तहत अपीलार्थीगण को दोषी ठहराते समय पीडब्लू**-9,** मनोचिकित्सक के साक्ष्य को ध्यान में नहीं रखा**;**छ**.)** अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि पूरी तरह से मृतक की माँ और बहन के मौखिक साक्ष्य पर आधारित है**,** जो इच्छुक गवाह हैं**;**ज**.)** पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण नहीं बताया गया है**,** लेकिन **15.12.14** पर**,** मृत्यु का कारण बाहरी संपीड़न के कारण एशपिक्सिया के रूप में दिखाया गया है।**[**पैरा **43] [909-**ई**-**एच**; 910-**ए**-**ई**]**

3.2.निर्णयों के साथ मामले के उपरोक्त तथ्यों पर विचार करने और चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य सामग्री की सराहना करने पर**,** यह स्पष्ट है कि निचली अदालत ने अपीलार्थीगण को गलत तरीके से दोषी ठहराया और उच्च न्यायालय भी भारतीय दण्ड संहिता सी**.** की धारा **376** और **498** ए के तहत अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि को बरकरार रखने में उचित नहीं था। **[**पैरा **44] [910-**एफ**]**

रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य **(2001) 9** एससीसी

618 :[2001] 4 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 247-**पर निर्भर।

जियो वर्गीज बनाम राजस्थान राज्य और एक अन्य **2021** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 873;** एम**.** अर्जुनन बनाम राज्य**,** जिसका प्रतिनिधित्व इसके पुलिस निरीक्षक **(2019) 3** एस**.** सी**.** सी**. 325;** और उदे सिंह और अन्य ने किया। वी**.**हरियाणा राज्य **(2019) 17** एससीसी **301:**

[2019] 9 एस**.** सी**.** आर**. 703-**संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

[2019] 3 एस**.** सी**.** सी**. 325**

संदर्भित किया गया है

पैरा **25**

जी.

[2019] 9 एससीआर **703**

संदर्भित किया गया है

पैरा **26**

[2001] 4 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 247** पैरा **42** पर निर्भर था।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2022 ए की आपराधिक अपील संख्या 1628

एच.

893

मारियानो एंटो ब्रुनो और ए. एन. आर. बनामपुलिस ए के निरीक्षक

मद्रास उच्च न्यायालय के सीआरएल में 31.01.2022 दिनांकित निर्णय और आदेशों से। 2021 का ए. सं. 166।

कपिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता, अर्जुन गर्ग, अपराजित जामवाल, अगलेश कुमार एस., आकाश नंदोलिया, सुश्री सागुन श्रीवास्तव, सुश्री अपराजित, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।

पी. वी. योगेश्वरन, आशीष कुमार उपाध्याय, वाई. लोकेश, वी. सिबी कारगिल, वी. कंधा प्रभु, अर्जुन सिंह, अनुभव चतुर्वेदी, पंकज कुमार अग्रवाल, सूर्य नारायण पात्रो, एल. आर. वेंकटेशन, के. कुमारवादिवेल, सुश्री शिवानी तुशीर, सुश्री मैत्री गोल, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

कृष्णा मुरारी**,** जे।

1. वर्तमान अपील मद्रास में उच्च न्यायालय द्वारा 2021 की आपराधिक अपील संख्या 166 में (जिसे इसके बाद "उच्च न्यायालय" के रूप में संदर्भित किया गया है) पारित किए गए निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें अपीलार्थीगण द्वारा दायर किया गया है, जिसमें सत्र न्यायाधीश, महिला न्यायालय, चेन्नई (जिसे इसके बाद "ट्रायल कोर्ट" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा 2016 की एस. सी. संख्या 209 में भारतीय दंड भारतीय दण्ड संहिता (जिसे इसके बाद "आई. पी. सी". के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 498 ए और 306 के तहत पारित दोषसिद्धि के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है।अपीलार्थीगण को 3 साल की अवधि के लिए कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। 5, 000/- प्रत्येक, जिसकी चूक में भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 498 ए के तहत एक महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास और 7 साल की अवधि के लिए कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने से गुजरना होगा। 25, 000/- जिसमें से प्रत्येक को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 376 के तहत 3 महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास से गुजरना होगा। विवादित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 498 ए और 376 के तहत अपराध के लिए अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि को बरकरार रखा।

2. संक्षेप में, इस अपील के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1 अपीलार्थी नं. 1 और डॉ. एम. अमाली विक्टोरिया (इसके बाद "मृतक" के रूप में संदर्भित) के बीच विवाह 08.09.2005 पर संपन्न किया गया था और वर्ष 2007 में विवाह से बाहर एक पुरुष बच्चे का जन्म हुआ था।पेशेवर मोर्चे पर, दोनों पक्ष डॉक्टर हैं। अपीलार्थी नं. 1 को 05.11.2014 पर सूचित किया गया था कि मृतक अपने घर के बाथरूम में गिर गया था और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था।तुरंत, अपीलार्थी नं. 1 के पिता द्वारा एक एम्बुलेंस को बुलाया गया।स्थल पर पहुँचने पर

घटना में, अपीलार्थी संख्या 1 ने पाया कि मृतक की नाड़ी नहीं थी।अपीलार्थी नंबर 1 के पड़ोसियों के हस्तक्षेप के बावजूद, जो डॉक्टर थे, मृतक को पुनर्जीवित नहीं किया जा सका और 05.11.2014 पर उनका निधन हो गया।शरीर का पोस्टमॉर्टम 06.11.2014 पर किया गया था और मृत्यु का कारण गर्दन के बाहरी संपीड़न के कारण दम घुटना था।

2.2 प्रत्यर्थी पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद "Cr.P.C" के रूप में संदर्भित) की धारा 174 के तहत मृतक की अप्राकृतिक मृत्यु के कारण अपीलार्थी संख्या 1 के बयान के आधार पर पुलिस स्टेशन के2, अयनावरम, जिला किलपौक, चेन्नई में 2015 की प्राथमिकी संख्या 1865 दर्ज की।

2.3 मृतक की मृत्यु के 3 सप्ताह बाद, पीडब्लू-1 (मृतक की मां) ने अपीलार्थी संख्या 1, अपीलार्थी संख्या 2 (सास) और मृतक के ससुर के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए और 376 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद, एफ़. आई. आर. को धारा 174 Cr.P.C से धारा 498 ए और भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 307 में बदल दिया गया।

2.4 अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि अपीलकर्ता संख्या 1 के साथ मृतक का विवाह वर्ष 2005 में संपन्न किया गया था और चूंकि मृतक की डेढ़ साल से संतान नहीं थी, इसलिए अपीलार्थीगण ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे पूजा में भाग लेने के लिए मजबूर किया और इसके इनकार पर, अपीलार्थीगण ने उसे धमकी दी कि वह मर जाएगी।इसके बाद, मृतक

ने वर्ष 2007 में सिजेरियन द्वारा रोसैंडो नाम के एक लड़के को जन्म दिया।इसके अलावा, अपीलार्थी संख्या 1 ने इस तथ्य के बावजूद कि मृतक की दूसरी गर्भावस्था के साथ गर्भपात हुआ था, उसे दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर करके मृतक को भारी मानसिक यातना दी।मृतक को घर के सभी घरेलू काम करने के लिए मजबूर किया गया था और अपीलार्थीगण के हाथों लगातार क्रूरता का सामना करना पड़ा था।इसी कारण से मृतक को 05.11.2014 पर आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया गया था।

3. इसके बाद अनुसंधान पूरी होने पर आरोप पत्र दायर किया गया और संज्ञान लिया गया। चूंकि अपराधों की सुनवाई सत्र न्यायालय द्वारा की जा सकती है, इसलिए 2016 का एससी संख्या 209 होने के कारण उक्त मामला सुनवाई के लिए महिला न्यायालय, चेन्नई को सौंपा गया था।

जी.

4. निचली अदालत ने अपीलार्थीगण के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 498 ए और 376 के तहत आरोप तय किए। अपीलार्थीगण ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और इसलिए उन पर उपरोक्त अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया।

एच.

895

मारियानो एंटो ब्रुनो और ए. एन. आर. बनामपुलिस के निरीक्षक [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

ए.

5. मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों से पूछताछ की।बचाव पक्ष की ओर से किसी गवाह से पूछताछ नहीं की गई।अपीलार्थीगण का बयान Cr.P.C की धारा 313 के तहत भी दर्ज किया गया था।

6. निचली अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाह द्वारा दिए गए बयान और बचाव पक्ष के साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद, दिनांक 1 के फैसले और आदेश के माध्यम से अपीलार्थीगण यानी मृतक के पति और सास को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 498 ए और 376 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया और जैसा कि ऊपर बताया गया है उन्हें सजा सुनाई गई।निचली अदालत ने मृतक के ससुर को सभी आरोपों से बरी कर दिया।7. निचली अदालत द्वारा पारित फैसले और आदेश को चुनौती देते हुए, अपीलार्थीगण ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2021 की आपराधिक अपील संख्या 166 दायर की।इसे इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया कि अपीलार्थीगण ने भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 498 ए और 376 के तहत अपराध किया है और निचली अदालत ने सबूतों की सही सराहना की और

अपीलार्थीगण को दोषी ठहराया।प्रत्यर्थी पुलिस को अपीलार्थीगण को सजा की शेष अवधि के लिए भेजने का निर्देश दिया गया था।उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थीगण ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

8. हमने अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल और प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पी. वी. योगेश्वरन को सुना है।

अपीलार्थियों की ओर से दलीलें:

9. श्री कपिल सिब्बल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि मृतक की मां द्वारा की गई शिकायत में पहली बार क्रूरता के आरोप लगाए गए हैं और शादी के 9 साल से अधिक समय में मृतक या उसके परिवार द्वारा इन आरोपों के बारे में एक भी कानाफूसी नहीं की गई है। इसके विपरीत, अपीलार्थीगण और उनके परिवार, और मृतक और उनके परिवार के बीच संबंध बेहद सौहार्दपूर्ण थे।10. यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया था कि मृतक द्विध्रुवी विकार से पीड़ित था और इस तथ्य को शादी के समय याचिकाकर्ता को नहीं बताया गया था। इसका खुलासा न करने के बावजूद, अपीलकर्ता संख्या 1 ने मृतक की अच्छी देखभाल की और यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि मृतक ने अपीलार्थीगण द्वारा उकसाने के कारण आत्महत्या की थी।

जी.

11. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि शिकायत एक गुप्त उद्देश्य के साथ देर से की गई है जो मृतक की मृत्यु के तुरंत बाद किए गए उसके परिवार के सदस्यों के प्रारंभिक बयानों में भी परिलक्षित होती है।

एच.

12. इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि जब मृतक की मृत्यु के तुरंत बाद उनके बयान दर्ज किए जा रहे थे तो परिवारों के बीच दुश्मनी के कोई संकेत नहीं थे।हालाँकि, मृतक की बहनों

में से एक ने अपीलार्थी नंबर 1 के बेटे (संपत्ति पर अधिकार) की अभिरक्षा मांगी और इनकार करने पर शिकायतें शुरू हो गईं।

13. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि निचली अदालतों ने पीडब्लू-9 की गवाही की पूरी तरह से अवहेलना की, जो चिकित्सा पेशेवर थे, जिन्होंने मृतक का 04.11.2014 पर इलाज किया था।, उसकी मृत्यु से एक दिन पहले।पीडब्लू-9 द्वारा दर्ज सारांश स्पष्ट रूप से अतीत में अवसादग्रस्तता की बीमारी, आत्महत्या के प्रयासों और आत्महत्या के विचारों के इतिहास को दर्ज करता है।

14. यह भी प्रस्तुत किया गया कि निचली अदालतों ने अपीलार्थीगण द्वारा लगातार उत्पीड़न और मानसिक क्रूरता का आरोप लगाते हुए पीडब्लू-1 से पीडब्लू-3 की गवाही के आधार पर अपीलार्थीगण को दोषी ठहराने के लिए आगे बढ़े हैं।

15. अमलेंदु में इस अदालत के फैसले पर रिलायंस को रखा गया था

पाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य **1,** राजेश बनाम हरियाणा राज्य **2,** गुरचरण सिंह बनाम पंजाब राज्य **3,** उदे सिंह और अन्य। बनाम हरियाणा राज्य **4.**

उत्तरदाताओं की ओर से तर्कः

16. प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पी. वी. योगेश्वरन ने प्रस्तुत किया कि पीडब्लू-3 को पीडब्लू-1 के साक्ष्य ने स्पष्ट रूप से साबित किया है कि शादी के बाद, सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने अधिक दहेज की मांग की और यह भी बताया कि कैसे मृतक को गर्भ धारण नहीं करने के लिए दुर्व्यवहार और अपमानित किया गया और उसे गोमूत्र का सेवन करने के लिए मजबूर किया गया।

‘ पूजा '।

17. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 376 और 498 ए के तहत अपीलार्थीगण को दोषी ठहराते समय आरोप की प्रकृति, अपराध और दंड की गंभीरता और साक्ष्य की प्रकृति सहित सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार किया है।

18. यह भी प्रस्तुत किया गया कि पीडब्लू-1 ने पीडब्लू-3 को लगातार उत्पीड़न और घटना की प्रकृति के बारे में बताया है जिसने पीड़ित को अपने इकलौते बच्चे को छोड़कर आत्महत्या करने के लिए उकसाया।

जी.

1 (2010) 1 एससीसी 707 2 (2020) 15 एससीसी 359 3 (2020) 10 एससीसी 200 4 (2019) 17 एससीसी 301 ए

एच.

897

मारियानो एंटो ब्रुनो और ए. एन. आर. बनामपुलिस के निरीक्षक [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

19. इसके बाद यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया कि यह दिखाने के लिए स्पष्ट सबूत हैं कि 2014 में दूसरी गर्भावस्था के गर्भपात के बाद, आरोपी व्यक्तियों द्वारा दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और उकसावे में कई गुना वृद्धि हुई।20. हमने पक्षों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और पूरे रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।21. वर्तमान अपील की उत्पत्ति उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए विवादित आदेश से होती है जिसके तहत उच्च न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 376 और 498 ए के तहत अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि को बरकरार रखा। इसे ध्यान में रखते हुए, भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 307 के आवश्यक अवयवों का विज्ञापन करना आवश्यक है।

22. भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा306 निम्नानुसार हैः-

“306. आत्महत्या के लिए उकसानाः- यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई भी इस तरह की आत्महत्या के लिए उकसाता है, उसे दस साल तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माना भी लगाया जाएगा।”

23. भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 107 के तहत प्रोत्साहन को परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार हैः-

“107. किसी चीज़ का प्रोत्साहनः**-** एक व्यक्ति किसी कार्य को करने में सहायता करता है**,** जो **-**

सबसे पहले-किसी भी व्यक्ति को वह काम करने के लिए उकसाता है; या

दूसरा-उस कार्य को करने के लिए किसी भी साजिश में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संलग्न होना, यदि उस साजिश के अनुसरण में कोई कार्य या अवैध चूक होती है, और उस कार्य को करने के लिए; या

तीसरा-किसी भी कार्य या अवैध चूक से जानबूझकर उस कार्य को करने में सहायता करता है।

स्पष्टीकरण 1-एक व्यक्ति जो जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत करके, या किसी भौतिक तथ्य को जानबूझकर छिपाकर, जिसे वह प्रकट करने के लिए बाध्य है, स्वेच्छा से किसी कार्य को करने का कारण बनता है या प्राप्त करता है, या करने का प्रयास करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसे उस कार्य को करने के लिए उकसाया जाता है।

जी.

स्पष्टीकरण **2-**जो कोई भी**,** किसी कार्य के करने से पहले या उसके समय**,** कार्य को सुगम बनाने के लिए कुछ भी करता है।

एच.

कहा जाता है कि उस अधिनियम को लागू करना और इस तरह उसे लागू करने में सहायता करना उस अधिनियम को करने में सहायता करता है।"

24. भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 107 के तहत उकसाने की परिभाषा के साथ भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा306 के प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए, भारतीय दण्ड संहिता सी. की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने

इस न्यायालय ने जियो वर्गीज बनाम राजस्थान राज्य और अन्य **5** मामलों में

निम्नलिखित रूप में देखा गयाः-

"13. हमारे देश में आत्महत्या अपने आप में कोई अपराध नहीं है क्योंकि कोई व्यक्ति आत्महत्या करना कानून की पहुंच से परे है, लेकिन आत्महत्या का प्रयास आईपीसी की धारा 309 के तहत अपराध माना जाता है। किसी के द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाना भी भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 376 के तहत अपराध है। भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा306 को निर्धारित करना प्रासंगिक होगा जो निम्नानुसार हैः-

“306. आत्महत्या के लिए उकसाना।—यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई भी इस तरह की आत्महत्या के लिए उकसाता है, उसे दस साल तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माना भी लगाया जाएगा।”

14. हालाँकि, भारतीय दण्ड संहिता सी. 'आत्महत्या' शब्द को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन आत्महत्या का सामान्य शब्दकोश अर्थ 'आत्म-हत्या' है।यह शब्द एक आधुनिक लैटिन शब्द 'सुसिडियम' से लिया गया है, 'सुई' का अर्थ है 'स्वयं' और 'सिडियम' का अर्थ है 'मारना'।इस प्रकार,

आत्महत्या शब्द का अर्थ है 'आत्म-हत्या' का कार्य।दूसरे शब्दों में, मृत्यु का कार्य मृतक द्वारा स्वयं किया जाना चाहिए, भले ही उसने खुद को मारने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी साधन अपनाया हो।

15. भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 376 आत्महत्या के लिए उकसाने को आपराधिक अपराध बनाती है और इसके लिए सजा निर्धारित करती है।

16. 'उकसाना' शब्द का सामान्य शब्दकोश अर्थ है किसी को कुछ करने के लिए लाना या शुरू करना, उकसाना।रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 1 के मामले में इस न्यायालय ने 'उकसाने' शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया है:- “प्रेरणा किसी कार्य को करने के लिए उकसाना, आगे बढ़ने का आग्रह करना, उकसाना, उकसाना या प्रोत्साहित करना है।”

जी.

17. भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 107 के दायरे और दायरे और भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 307 के साथ इसके सह-संबंध पर बार-बार चर्चा की गई है।

एच.

5 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 873 ए

899

मारियानो एंटो ब्रुनो और ए. एन. आर. बनामपुलिस के निरीक्षक [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

अदालत।S.S.Cheena बनाम विजय कुमार महाजन के मामले में

और ए. एन. आर. 6, यह निम्नानुसार देखा गया:- “प्रोत्साहन में किसी व्यक्ति को उकसाने या जानबूझकर किसी व्यक्ति को कुछ करने में सहायता करने की एक मानसिक प्रक्रिया

शामिल है।आत्महत्या करने के लिए उकसाने या सहायता करने के लिए अभियुक्त की ओर से एक सकारात्मक कार्य के बिना, दोषसिद्धि को बनाए नहीं रखा जा सकता है।विधायिका की मंशा और उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किए गए मामलों का अनुपात स्पष्ट है कि भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 376 के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए अपराध करने के लिए एक स्पष्ट पुरुष कारण होना चाहिए।इसके लिए एक सक्रिय कार्य या प्रत्यक्ष कार्य की भी आवश्यकता होती है जिसके कारण मृतक को कोई विकल्प न देखकर आत्महत्या करनी पड़ी और उस कार्य का उद्देश्य मृतक को ऐसी स्थिति में धकेलना रहा होगा कि उसने आत्महत्या कर ली।"

25. भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 307 के घटकों को व्यापक रूप से देखा गया है।

एम. अर्जुनन बनाम राज्य में स्थापित, जिसका प्रतिनिधित्व इसके पुलिस निरीक्षक द्वारा किया जाता है

जो इस प्रकार हैं:-

"आई. पी. सी. की धारा306 के तहत अपराध के आवश्यक तत्व हैं:((i) उकसाना; (ii) मृतक को आत्महत्या करने में सहायता करने या उकसाने या उकसाने का अभियुक्त का इरादा। हालाँकि, अभियुक्त का अपमानजनक भाषा का उपयोग करके मृतक का अपमान करना अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं होगा।यह सुझाव देने में सक्षम सबूत होना चाहिए कि आरोपी का इरादा मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का था।जब तक आत्महत्या करने के लिए उकसाने/उकसाने के तत्व संतुष्ट नहीं होते हैं, तब तक आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

26. भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 376 के तहत किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए, किसी विशेष अपराध को करने के लिए मन की स्थिति दोषी होने का निर्धारण करने के संबंध में दिखाई देनी चाहिए।उसी के संबंध में, दो-न्यायाधीशों की पीठ

उडे सिंह और अन्य में इस न्यायालय का। बनाम हरियाणा राज्य **8** के रूप में मनाया गया

इसके अंतर्गत:-

जी.

6 (2010) 12 एस. सी. सी. 190 7 (2019) 3 एस. सी. सी. 315 8 (2019) 17 एस. सी. सी. 301

“16. आत्महत्या के कथित उकसावे के मामलों में, आत्महत्या के लिए उकसाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृत्यों का प्रमाण होना चाहिए।इस बात पर शायद ही कोई विवाद हो कि आत्महत्या के कारण का सवाल, विशेष रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध के संदर्भ में, एक परेशान करने वाला सवाल बना हुआ है, जिसमें मानव व्यवहार और प्रतिक्रियाओं/प्रतिक्रियाओं के बहुआयामी और जटिल गुण शामिल हैं।आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप के मामले में, न्यायालय आत्महत्या के लिए उकसाने के कार्य/कृत्यों के ठोस और विश्वसनीय प्रमाण की तलाश करेगा।आत्महत्या के मामले में, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मृतक के उत्पीड़न का केवल आरोप तब तक पर्याप्त नहीं होगा जब तक कि आरोपी की ओर से ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती है जो व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करती है और ऐसी अपमानजनक कार्रवाई घटना के समय के निकट होनी चाहिए।किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाया है या नहीं, यह केवल प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से एकत्र किया जा सकता है।

16.1.यह पता लगाने के उद्देश्य से कि क्या किसी व्यक्ति ने दूसरे को आत्महत्या के लिए उकसाया है; विचार यह होगा कि क्या आरोपी आत्महत्या के लिए उकसाने के कार्य का दोषी है।जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में समझाया और दोहराया गया है, उकसाने का अर्थ है किसी कार्य को करने के लिए उकसाना, आगे बढ़ने का आग्रह करना, उकसाना, उकसाना या प्रोत्साहित करना।यदि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति अतिसंवेदनशील थे और अभियुक्त की कार्रवाई से सामान्य रूप से किसी समान परिस्थिति वाले व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की उम्मीद नहीं की जाती है, तो अभियुक्त को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं हो सकता है।लेकिन, दूसरी ओर, यदि आरोपी अपने कृत्यों और अपने निरंतर आचरण से ऐसी स्थिति पैदा करता है जिससे मृतक को आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प समझ में नहीं आता है, तो मामला भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा306 के चार कोणों में आ सकता है। यदि अभियुक्त पीड़ित के आत्मसम्मान और आत्मसम्मान को धूमिल करने में सक्रिय भूमिका निभाता है, जो अंततः पीड़ित को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है, तो अभियुक्त को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया जा सकता है।ऐसे मामलों में अभियुक्त की ओर से पुरुष कारण के प्रश्न की जाँच अभियुक्त के वास्तविक कृत्यों और कार्यों के संदर्भ में की जाएगी और यदि कार्य और कार्य केवल ऐसी

प्रकृति के हैं जहां अभियुक्त का इरादा उत्पीड़न या त्वरित क्रोध के प्रदर्शन के अलावा और कुछ नहीं है,

जी.

एच.

901

मारियानो एंटो ब्रुनो और ए. एन. आर. बनामपुलिस के निरीक्षक [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

कोई विशेष मामला आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध से कम हो सकता है।हालाँकि, यदि आरोपी मृतक को शब्दों या कार्यों से परेशान या परेशान करता रहा जब तक कि मृतक ने प्रतिक्रिया नहीं दी या उसे उकसाया गया, तो कोई विशेष मामला आत्महत्या के लिए उकसाने का हो सकता है।मानव व्यवहार के नाजुक विश्लेषण का मामला होने के कारण, प्रत्येक मामले की जांच उसके अपने तथ्यों पर की जानी चाहिए, साथ ही आरोपी और मृतक के कार्यों और मानसिकता पर असर डालने वाले सभी आसपास के कारकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।"

27. उपरोक्त चर्चा की पृष्ठभूमि में, अब हम यह परीक्षण करने के लिए वर्तमान मामले के तथ्यों का विज्ञापन कर सकते हैं कि क्या भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 376 और 498 ए के तहत अपराध के लिए अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि टिकाऊ है या नहीं।

28. अपीलार्थी नं. 1 और मृतक का विवाह वर्ष 2005 में संपन्न किया गया था और वर्ष 2007 में विवाह से "रोसैंडो" नामक एक पुरुष बच्चे का जन्म हुआ था।यह उल्लेख करना उचित है कि अपीलार्थी संख्या 1 और मृतक दोनों तमिलनाडु राज्य में काम करने वाले पेशे से प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं।अपीलार्थी नं. 1 के परिवारों और मृतक के बीच उनकी शादी के दौरान कोई दुश्मनी नहीं रही है।वास्तव में, विवाह के बाद, अपीलार्थी संख्या 1 को पता चला कि मृतक द्विध्रुवी विकार से पीड़ित था।इसके बाद उन्हें यह भी पता चला कि उनकी छात्रावस्था से ही आत्महत्या करने की प्रवृत्ति थी और उनका तमिलनाडु के थिरुनेलवेली में एक मनोचिकित्सक के तहत इलाज हुआ था।

29. इस स्तर पर, धारा 313 Cr.P.C के तहत अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा दिए गए बयान का उल्लेख करना प्रासंगिक हो सकता है जो निम्नानुसार हैः

“मेरी पत्नी को कम उम्र से ही मानसिक बीमारी थी।पढ़ाई के दौरान भी एक रोगी के रूप में उनका कई बार इलाज हुआ था।उसने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। उन्होंने उपरोक्त तथ्यों को दबाते हुए उसकी शादी करवा दी थी।मुझे इन तथ्यों का पता शादी के बाद ही चला जब मैंने अपनी सास और अपनी पत्नी की बहन से उपरोक्त के बारे में बात की, मेरी सास अमेरिका चली गई थी।इसके बाद 9 साल तक मैंने ही अपनी पत्नी का इलाज किया।मैं यह सुनिश्चित करने में कामयाब रहा कि बीमारी के प्रभाव को कम से कम नियंत्रित किया जाए।उन्हें लगातार द्विध्रुवी विकार, अवसाद, भय, मतिभ्रम और आत्महत्या की प्रवृत्ति थी।

जी.

एच.

इसके लिए वह लगातार कई दवाएं ले रही थीं।”

डॉ. शालिनी, सलाहकार मनोचिकित्सक, पीडब्लू-9 द्वारा दिनांकित 04.11.14 उपचार रिपोर्ट के सारांश से इस तथ्य की पुष्टि होती है जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

“डॉ. अमाली विक्टोरिया/32/एफ. एम. बी. बी. एस., एम. डी. (साइको), सहायक प्रो. आई. एम. एच. डब्ल्यू./ओ. श्री मारियानो ब्रूनो/36/एम. एम. सी. एच. (न्यूरो) सर्जन एम. एक्स. 7 वर्ष ए/एन. सी./एन./1 बेटा 7/एम.

- जोड़ी एक साथ

- महिला वार्ड @आई. एम. एच. में तैनात होने के बाद पत्नी पिछले 1 महीने से दुखी है।

ऊ थका हुआ महसूस करता है, काम करने में दिलचस्पी नहीं रखता है या हतोत्साहित, अक्षम या खराब नींद महसूस करता है

- वह 6 सप्ताह तक ठीक महसूस कर रही थी, अचानक अधिक से अधिक हताश हो गई।
- कोई एच/ओ हाइपोथायरायडिज्म नहीं

• एच/ओ ने एमबीबीएस के दौरान अतीत में इसी तरह की अवसादग्रस्तता की बीमारी (+) ओ एच/ओ प्रकरण में आत्महत्या का प्रयास किया था, थिरुनेलवेली में एक मनोचिकित्सक के साथ इलाज किया था, जिसे आई. सी. यू., टी. एम. सी. में भर्ती कराया गया था।

o दूसरा एपिसोड पोस्ट पार्टम ओ तीसरा एपिसोड मौजूद है

• पिछले दो दिनों से आत्महत्या के विचार आ रहे हैं-इसलिए पति आज उसे परामर्श के लिए ले आया है

• ग्राहक का पति दूसरे बच्चे के लिए अंदर जाना चाहता है, जबकि अमाली को डर है कि वह इसका सामना नहीं कर पाएगी।असहाय, निराशाजनक और बेकार महसूस करता है

जी.

• वह अपनी नौकरी छोड़ना चाहती है, लेकिन उसे डर है कि ससुराल वाले उसे छोड़ देंगे और वापस अपने पैतृक स्थान पर चले जाएंगे।उसे लगता है कि वह अपने बेटे या अन्य भावी बच्चों की देखभाल अकेले नहीं कर पाएगी।

एच.

903

मारियानो एंटो ब्रुनो और ए. एन. आर. बनामपुलिस के निरीक्षक [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

ए.

• पति का कहना है कि उसने दूसरी राय मांगी थी क्योंकि उसे लगता है कि वह घर पर बहुत शांत और निष्क्रिय हो रही है।उन्होंने पहले आई. एम. एच. में अपने मनोचिकित्सक सहयोगी से भी परामर्श किया था।लेकिन पति दूसरी राय चाहता है क्योंकि वह पिछले 2 दिनों से आत्महत्या करने की बात कर रही है।

• अमाली ने सलाह दी

मुफ्त टी3, टीएसएच की सलाह दी गई

आरएक्स

कैप। प्रोडेप (20) 1-0-0

टैब एलीवेल (25) 0-0-1

× 10 दिन।• 10 दिनों के बाद समीक्षा के लिए टी. एफ. टी. रिपोर्ट के साथ आना

• बेकार की भावना के लिए चिकित्सा जारी रखने के लिए "

30. शादी के कुछ हफ्तों के भीतर, अपीलकर्ता संख्या 1 ने मृतक की माँ और बहन को एक ईमेल लिखा और मृतक की देखभाल के लिए उनकी मदद मांगी, लेकिन मृतक की माँ ने मदद करने से इनकार कर दिया और वह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना हो गई।इसके बाद, अपीलार्थी संख्या 1 की मदद से, मृतक की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हुआ और उसने 2013 में स्वर्ण पदक के साथ अपनी स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की और बाद में, वर्ष 2014 में काम करना शुरू कर दिया।परिवारों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण थे और मृतक अपीलार्थीगण के परिवार के प्रति बहुत स्नेही था और अपीलार्थीगण द्वारा उसके साथ क्रूरता या उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं है।

31. वर्ष 2014 में, मृतक का गर्भपात हो गया, जिसके कारण उसने अवसाद के संकेत दिखाना शुरू कर दिए और आगे डॉ. शालिनी यानी पीडब्लू-9 से 04.11.2014 पर इलाज कराया, जिन्होंने कुछ दवाएं निर्धारित कीं।हालाँकि, बाथरूम में बेहोश पाए जाने के बाद मृतक की मृत्यु 05.11.2014 पर हो गई।

32. द्विध्रुवी विकार के संबंध में जिससे मृतक पीड़ित था, यह अवसादग्रस्तता के निम्न स्तर से लेकर उन्मादी उच्च स्तर तक के मनोदशा के उतार-चढ़ाव के प्रकरणों से जुड़े विकार को संदर्भित करता है।द्विध्रुवी विकार के कुछ लक्षण इस प्रकार हैं:

जी.

अधिकांश समय उदास, निराश या चिड़चिड़ा महसूस करना ऊर्जा की कमी

एच.

ध्यान केंद्रित करने और चीजों को याद रखने में कठिनाई रोजमर्रा की गतिविधियों में रुचि की कमी

खालीपन या अयोग्यता की भावनाएँ

वास्तव में, प्रत्येक आत्महत्या एक व्यक्तिगत त्रासदी है जो समय से पहले किसी व्यक्ति की जान ले लेती है और इसका निरंतर प्रभाव पड़ता है, जो नाटकीय रूप से परिवारों, दोस्तों और समुदायों के जीवन को प्रभावित करता है।हालाँकि, निर्णय लेते समय न्यायालय को भावनाओं की भावनाओं द्वारा निर्देशित नहीं होना चाहिए, बल्कि तथ्यों और अभिलेख पर साक्ष्य के विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए।

33. मामले पर आते हुए, मृतक की अप्राकृतिक मृत्यु के कारण अपीलकर्ता संख्या 1 द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई, इसके तुरंत बाद, मृतक की बहनों में से एक ने अपीलकर्ता संख्या 1 के बेटे की अभिरक्षा मांगी और उससे इनकार करने पर, मृतक की मां ने मृतक की मृत्यु के 3 सप्ताह बाद एक मौखिक बयान दिया जिसमें आरोप लगाया गया कि अपीलार्थीगण ने मृतक की मृत्यु का कारण बना और वह अपर्याप्त दहेज के कारण अपीलार्थीगण के हाथों लगातार उत्पीड़न का शिकार हो रही थी और अपीलार्थीगण ने गर्भ धारण नहीं करने के लिए मृतक के साथ लगातार दुर्व्यवहार किया।इसके बाद, एफ़. आई. आर. को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 174 Cr.P.C से धारा 305 में बदल दिया गया। आरोप तय किए गए और मुकदमे के पूरा होने के बाद, निचली अदालत ने अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 376 और 498 ए के तहत दोषी ठहराया। अपील पर, उच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा। निर्णय का कार्यात्मक भाग इस प्रकार है:-

“16. भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 498 (ए) और 376 के तहत अपराधों के लिए अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए अभियोजन पक्ष को दो चीजें साबित करनी होंगी, कि क्या मृतक की मृत्यु अप्राकृतिक है और क्या मृतक ने उत्पीड़न, प्रलोभन और उत्पीड़न के कारण आत्महत्या की है।

अपीलार्थीगण को उकसाना।इस मामले में, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार, यह स्पष्ट है कि पीड़ित की मृत्यु अस्वाभाविक रूप से हुई और पी. डब्ल्यू. **1** से पी. डब्ल्यू. **3** के साक्ष्य ने साबित किया कि अपीलार्थीगण ने पीड़ित को परेशान किया और मानसिक और शारीरिक क्रूरता का कारण बने।क्रूरता के कारण मृतक ने अपना जीवन समाप्त करने के लिए चरम कदम उठाया है।

जी.

18. इस प्रकृति के मामलों में, किसी भी स्वतंत्र गवाह की उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि भारत में, महिला भी अच्छी तरह से योग्य व्यक्ति हैं, उनकी पारिवारिक प्रतिष्ठा को देखते हुए, वे किसी तीसरे व्यक्ति या अजनबी को कुछ बातें व्यक्त नहीं कर सकती हैं और ए

एच.

905

मारियानो एंटो ब्रुनो और ए. एन. आर. बनामपुलिस के निरीक्षक [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

वे केवल अपनी माँ या बहन या बहुत करीबी दोस्त या शुभचिंतकों से ही कह सकते हैं।इस मामले में, पी. डब्ल्यू. 1 मृतक की माँ है और पी. डब्ल्यू. 2 मृतक की बड़ी बहन है। अपीलार्थीगण की ओर से यह दिखाने के लिए कोई चिकित्सा रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है कि मृतक मानसिक रूप से अव्यवस्थित व्यक्ति था या उसकी आत्महत्या करने की प्रवृत्ति थी।हालाँकि, पीडब्लू. 1 से पीडब्लू. 3 और P.W.10 के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मृतक ने अपीलार्थीगण द्वारा किए गए निरंतर उत्पीड़न और मानसिक क्रूरता के कारण आत्महत्या की थी।अतः पी. डब्ल्यू. 1 से पी. डब्ल्यू. 3 तक के साक्ष्य विश्वसनीय और भरोसेमंद हैं, जो अपीलार्थीगण को दोषी ठहराने के लिए इस न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करते हैं।इच्छुक गवाह की गवाही को स्वयं खारिज नहीं किया जा सकता है और न्यायालय को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना होगा और दृढ़ता और विश्वसनीयता का पता लगाने के लिए साक्ष्य का विश्लेषण करना होगा।इस न्यायालय को पी. डब्ल्यू. 1 से पी. डब्ल्यू. 3 के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं मिला है और पी. डब्ल्यू. 2 के साक्ष्य की पुष्टि P.W.10 के साक्ष्य द्वारा की गई थी।

20. पीडब्लू. 1 से पीडब्लू. 3 तक के साक्ष्य को ध्यान से पढ़ने और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के साक्ष्य से यह साबित हुआ कि पीड़ित को अपीलार्थीगण द्वारा उत्पीड़न और क्रूरता का सामना करना पड़ा था।वह अच्छी तरह से शिक्षित है और किलपौक के सरकारी मानसिक अस्पताल में मनोचिकित्सक के रूप में काम कर रही है, उसने फांसी लगाकर अपना जीवन समाप्त कर लिया।इसलिए, इस न्यायालय ने पाया कि अपीलार्थीगण ने भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 498 (ए) और 376 के तहत अपराध किया है और विद्वत विचारण न्यायाधीश ने साक्ष्य की सही सराहना की और अपीलार्थीगण को दोषी ठहराया और इसलिए, इस मामले में कोई योग्यता नहीं है और अपील खारिज की जा सकती है।”

34. आक्षेपित निर्णय के एक नंगे अवलोकन से संकेत मिलता है कि उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष को दर्ज करने में गलती की कि भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 376 के तहत अपीलार्थीगण को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रिकॉर्ड पर कोई सबूत मौजूद नहीं है जो यह दर्शाता है कि मृतक को उसकी मृत्यु से ठीक पहले अपीलार्थीगण द्वारा उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि न केवल निरंतर उत्पीड़न का सबूत होना चाहिए, बल्कि आरोपी द्वारा एक सकारात्मक कार्रवाई स्थापित करने के लिए ठोस सबूत होना चाहिए जो कमोबेश घटना के समय के निकट होना चाहिए, जिसे कार्रवाई व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित या मजबूर करने के लिए कहा जा सकता है।

जी.

एच.

35. हाथ में होने के मामले में, न केवल आत्महत्या के समय के निकट उक्त सकारात्मक कार्रवाई अनुपस्थित है, बल्कि अपीलार्थीगण द्वारा मृतक को दी गई किसी भी निरंतर शारीरिक या मानसिक यातना का भी कोई सबूत नहीं है।इसके विपरीत, अपीलार्थी सं। 1 स्वयं मृतक को इस घटना से ठीक एक दिन पहले एक मनोचिकित्सक से परामर्श करने के लिए ले गया था, जाहिरा तौर पर उसे बेहतर महसूस कराने के इरादे से।उक्त कृत्य को किसी भी तरह से ऐसा कार्य नहीं कहा जा सकता है जो मृतक को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर सके।इसके अलावा, पीडब्लू-1 द्वारा पीडब्लू-3 पर विवाह के तुरंत बाद अपीलार्थीगण द्वारा मृतक के निरंतर उत्पीड़न और यातना के संबंध में अपने बयान में लगाए गए आरोप भरोसा करने के योग्य नहीं हैं और इस तथ्य के कारण कि उनकी शादी के 9 वर्षों के दौरान, मृतक या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा इस संबंध में कभी कोई शिकायत या फुसफुसाहट नहीं की गई है, जो अभियोजन पक्ष के गवाहों के रूप में पेश हुए थे।यहाँ तक कि मृतक स्वयं, जो एक योग्य चिकित्सक थे, ने भी इस संबंध में कभी कोई शिकायत नहीं की।यह विश्वास करना वास्तव में कठिन है कि एक सुशिक्षित और आत्मनिर्भर महिला 9 साल की काफी लंबी अवधि के लिए ऐसी चीजों को ले जाएगी।

36. भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 376 के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए, अपराध करने के लिए स्पष्ट पुरुष कारण होना चाहिए।इसके लिए एक सक्रिय कार्य या प्रत्यक्ष कार्य की भी आवश्यकता होती है जो मृतक को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है और कोई अन्य विकल्प नहीं ढूंढता है और यह कार्य मृतक को ऐसी स्थिति में धकेलने के आरोपी के इरादे को दर्शाता है कि वह आत्महत्या कर ले।अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे यह स्थापित करना होगा कि मृतक ने आत्महत्या की थी और अपीलार्थी संख्या 1 ने मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाया था।वर्तमान मामले में, दोनों तत्व अनुपस्थित हैं।

37. अब, जहाँ तक भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 498 ए के तहत दोषसिद्धि का संबंध है, घटना के बाद दर्ज किए गए अभियोजन पक्ष के गवाह पी. डब्ल्यू.-1 से पी. डब्ल्यू.-3 के बयान को छोड़कर, दहेज की किसी भी मांग या उसके साथ दुर्व्यवहार के आरोप को स्थापित करने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं है।यह तथ्य कि अपीलार्थी नं. 1 और मृतक के परिवारों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे, विवादित नहीं है।मृतक ने 05.11.2014 पर आत्महत्या कर ली और अपीलार्थीगण के खिलाफ शिकायत 24.11.2014 यानी मृतक की मृत्यु के 3 सप्ताह बाद दर्ज की गई।

जी.

38. इस न्यायालय ने बार-बार दोहराया है कि भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 376 के तहत किसी आरोपी को दोषी ठहराने से पहले, न्यायालय को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की ईमानदारी से जांच करनी चाहिए और साक्ष्य ए का भी आकलन करना चाहिए।

एच.

907

मारियानो एंटो ब्रुनो और ए. एन. आर. बनामपुलिस के निरीक्षक [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

यह पता लगाने के लिए कि क्या पीड़ित के साथ की गई क्रूरता और उत्पीड़न ने पीड़ित के पास अपने जीवन को समाप्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं छोड़ा था, उसके सामने पेश किया गया।यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आत्महत्या के कथित उकसावे के मामलों में आत्महत्या के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उकसाने के कृत्यों का प्रमाण होना चाहिए।केवल अभियुक्त की ओर से घटना के समय के निकट कोई सकारात्मक कार्रवाई किए बिना उत्पीड़न के आरोप पर, जिसके कारण व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया या मजबूर किया गया, भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा306 के संदर्भ में दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है।

39. अभियुक्त/अपीलार्थियों के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन ने निम्नलिखित गवाहों को पेश कियाः

मृतक की माँ-पीडब्लू-1 मृतक की बहन-पीडब्लू-2 मृतक का भाई-पीडब्लू-3

बाथरूम का दरवाजा तोड़ने वाला बढ़ई-घर में काम करने वाली पीडब्लू-4 नौकरानी-पीडब्लू-5

एसी मैकेनिक जो बढ़ई के साथ था-मृतक का पीडब्लू-6 सहकर्मी-पीडब्लू-7

मृतक का सहकर्मी-पीडब्लू-8

डॉक्टर जिन्होंने मृतक का इलाज 04.11.2014-PW-9 पर किया

मृत शरीर का शव परीक्षण करने वाले डॉक्टर-पीडब्लू-10 डॉक्टर जिन्होंने मृतक को मृत घोषित कर दिया 05.11.2014-पीडब्लू-11

डॉक्टर जिन्होंने दूसरे बच्चे के गर्भपात पर मृतक का इलाज किया-पीडब्लू-12

ऑटो चालक-पीडब्लू-13

जी.

पुलिस उपनिरीक्षक-पीडब्लू-14

मामले की जांच करने वाले पुलिस निरीक्षक-पीडब्लू-15

40. पीडब्लू-1 से पीडब्लू-3 इच्छुक गवाह हैं, फिर भी, पीडब्लू-3

स्पष्ट रूप से कहा कि "मेरी बहन डॉ. अमाली विक्टोरिया और डॉ. ब्रूनो के बीच शादी एक खुशहाल शादी थी।"इस प्रकार मौजूद है

एच.

न केवल उनके अपने बयानों और अन्य दो गवाहों के बयानों में भी भौतिक विरोधाभास हैं।

41. पीडब्लू-9, डॉ. शालिनी मनोचिकित्सक हैं जिन्होंने मृतक का 04.11.2014 पर इलाज किया था।उसने अपदस्थ कर दिया था कि मृतक ने कर्तव्य में अपनी अनिच्छा व्यक्त की थी, नींद की कमी और भूख न लगने की शिकायत की थी और उसे किसी भी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी।इसके अलावा, पीडब्लू-9 ने कहा कि ये अवसाद के लक्षण थे।पीडब्लू-9 ने अपनी दिनांकित 04.11.2014 उपचार रिपोर्ट के सारांश में कहा कि मृतक ने पिछले 1 महीने से उदासी का कारण महिला वार्ड @आई. एम. एच. में अपनी पोस्टिंग के कारण बताया था और वह थका हुआ महसूस करती है, काम करने में रुचि नहीं रखती है, खराब नींद का पैटर्न है।इसके अलावा, यह उल्लेख करना उचित है कि पीडब्लू-9 द्वारा उपचार सारांश में यह भी उल्लेख किया गया था कि मृतक को अतीत में इसी तरह की अवसादग्रस्तता की बीमारी थी, यानी एमबीबीएस कॉलेज के दिनों के दौरान पहली घटना, आत्महत्या का प्रयास किया था, दूसरी घटना प्रसवोत्तर और वर्तमान तीसरी घटना है।04.11.2014 पर मनोचिकित्सक के परामर्श के लिए जाने से पहले मृतक को आत्महत्या के विचार आए थे और यही बात उपचार के सारांश से स्पष्ट होती है।तथापि, पीडब्लू-9 अर्थात मनोचिकित्सक के साक्ष्य पर निम्न न्यायालयों द्वारा विचार नहीं किया गया है और अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि पूरी तरह से पीडब्लू-1 से पीडब्लू-3 के मौखिक साक्ष्य पर आधारित थी।

42. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अदालतों को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और मुकदमे में पेश किए गए साक्ष्य का आकलन करने में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पीड़िता के साथ की गई क्रूरता ने वास्तव में उसे आत्महत्या करके जीवन समाप्त करने के लिए प्रेरित किया था।तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है।

रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य **9** में इस न्यायालय का**,** जिसमें

इस न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा306 के तहत अपराध के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धि को खारिज कर दिया क्योंकि भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा306 के तत्व संतोषजनक रूप से साबित नहीं हुए थे।यह निम्नानुसार देखा गयाः-

“20. उकसाना, आगे बढ़ने का आग्रह करना, उकसाना, उकसाना या "एक कार्य" करने के लिए प्रोत्साहित करना है।उकसाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि उस प्रभाव के लिए वास्तविक शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए या

जो उकसाने का गठन करता है वह आवश्यक रूप से और विशेष रूप से परिणाम का संकेत होना चाहिए।फिर भी परिणाम को उकसाने के लिए एक उचित निश्चितता होनी चाहिए

जी.

लिखने में सक्षम।वर्तमान मामला ऐसा मामला नहीं है जिसमें अभियुक्त ने अपने कृत्यों या चूक या निरंतरता के कारण ऐसा किया हो।

9 (2001) 9 एससीसी 618 ए

एच.

909

मारियानो एंटो ब्रुनो और ए. एन. आर. बनामपुलिस के निरीक्षक [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

आचरण के क्रम ने ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कीं कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था, जिस स्थिति में एक उकसावे का अनुमान लगाया जा सकता था।वास्तव में परिणाम की इच्छा किए बिना क्रोध या भावना के अनुरूप बोले गए शब्द को उकसाना नहीं कहा जा सकता है।

21. पश्चिम बंगाल राज्य बनाम ओरिलाल जैसवाल और अन्र। **10,** यह

अदालत ने आगाह किया है कि अदालत को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और मुकदमे में पेश किए गए सबूतों का आकलन करने में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पीड़िता के साथ हुई क्रूरता ने वास्तव में उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया था।अगर यह चला जाता है

अदालत ने कहा कि आत्महत्या करने वाला एक पीड़ित उस समाज के लिए सामान्य कलह, कलह और घरेलू जीवन में मतभेदों के प्रति अतिसंवेदनशील था, जिससे पीड़ित संबंधित था और इस तरह के कलह, कलह और मतभेदों से किसी दिए गए समाज में एक समान परिस्थिति वाले व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की उम्मीद नहीं थी, अदालत की अंतरात्मा को इस निष्कर्ष के आधार पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि आत्महत्या के अपराध को उकसाने के आरोपी को दोषी पाया जाना चाहिए।”

(बल दिया गया**)**

43. तदनुसार, वर्तमान मामले में जिन तथ्यों और साक्ष्यों का परीक्षण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों द्वारा स्पष्ट रूप से विश्लेषण नहीं किया गया है, उनका सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः-

1. अपीलार्थीगण के खिलाफ शिकायत मृतक की मृत्यु के 3 सप्ताह बाद दर्ज की गई थी।

2. अपीलार्थीगण द्वारा मृतक को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 498 ए के तहत कथित अपराध के संबंध में कोई सबूत नहीं है।

3. अपीलार्थी नं. 1 और मृतक के बीच उनके 9 वर्षों के वैवाहिक जीवन के दौरान कोई वैवाहिक कलह नहीं हुई है।4. अपीलार्थी नं. 1 और मृतक की बहनों के बीच कई ईमेलों का आदान-प्रदान हुआ है, जिसमें अपीलार्थी नं. 1 को मृतक की सर्वोत्तम संभव तरीके से देखभाल करने के लिए प्रशंसा की गई और इसका श्रेय दिया गया।

जी.

10 (1994) 1 एससीसी 73

एच.

मृतक को उसके करियर में सहायता करने के लिए उसके माता-पिता को भी दिया गया।इसके अलावा, यह मृतक की बहन थी, जिसने खुद अपीलार्थी संख्या 1 को एक मेल भेजा था जिसमें कहा गया था कि "अमाली है।

एक अव्यवस्था से लड़ना "

5. मृतक द्विध्रुवी क्रम से पीड़ित था और उसे आत्महत्या करने से कुछ दिन पहले से आत्महत्या के विचार भी आ रहे थे।इसके अलावा, मृतक का अवसाद का भी इलाज चल रहा था क्योंकि वह थकान, खराब नींद, हतोत्साहित महसूस करने जैसे अवसाद के प्रमुख लक्षण दिखा रही थी।यह तथ्य कि मृतक द्विध्रुवी विकार से पीड़ित था, अपीलार्थी परिवार से उनकी शादी के दौरान छिपा दिया गया था।

6. निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 376 और 498 ए के तहत अपीलार्थीगण को दोषी ठहराते समय पीडब्लू-9, मनोचिकित्सक के साक्ष्य को ध्यान में नहीं रखा।

7. अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि पूरी तरह से मृतक की माँ और बहन के मौखिक साक्ष्य पर आधारित है, जो इच्छुक गवाह हैं।

8. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण नहीं बताया गया है, लेकिन 15.12.14 पर मौत का कारण एशपिक्सिया दिखाया गया है।

बाहरी संपीड़न के कारण।

44. ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों के साथ मामले के उपरोक्त तथ्यों पर विचार करने और चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य सामग्री की सराहना करने के बाद, हमारा विचार है कि निचली अदालत ने अपीलार्थीगण को गलत तरीके से दोषी ठहराया और उच्च न्यायालय ने भी भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 376 और 498 ए के तहत अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि को बरकरार रखने में न्यायसंगत नहीं था।

45. नतीजतन, उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 31.01.2022 के विवादित फैसले के साथ-साथ दिनांक 26.03.2021 के ट्रायल कोर्ट के फैसले और आदेश अस्थिर हैं और अलग किए जाने के योग्य हैं और इसके द्वारा अलग किए जाते हैं।अपीलार्थीगण को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया जाता है।

जी.

46. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है।

बिभूति भूषण बोस

अपील की अनुमति दी गई।

एच.

(सहायकः नेहा शर्मा, एलसीआरए)